न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 35/2016

अपीलांट

1.रामाराम पुत्र मालाराम
2.प्रभुराम पुत्र मालाराम
जाति जाट निवासी मोतीनगर
सिणधरी तहसील,सिणधरी

बनाम

रेस्पोडेंटस

1.कंवराराम पुत्र शिवजीराम
2.चिमाराम पुत्र दानाराम
3.जेरामराम पुत्र मालाराम
4.चोलाराम पुत्र मालाराम
जाति जाट निवासी मोतीनगर,
सिणधरी,तहसील सिणधरी
5.पन्नाराम पुत्र हेमदान
6.महेशदान पुत्र मानदान
7.गोपीदेवी पत्नि पन्नेदान
जाति चारण निवासी मोतीनगर,
सिणधरी तहसील सिणधरी
8.रावताराम पुत्र पोकराराम
9.रूपाराम पुत्र भैराराम
10.राजूराम पुत्र भैराराम
जाति जाट निवासी मोतीनगर
11.तहसीलदार,सिणधरी
12.प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा,
सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.2014 द्वारा तहसीलदार सिणधरी

उपस्थितः–1.श्री राजेन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2.श्री वीरमाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से।
3.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं.11 की ओर से।
4.रेस्पोडेंट सं. 01,2,04 से 10,12 एक तरफा।

निर्णय दिनांक 17.04.2018

1. संक्षेप में अपीलांट्स की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि में अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 की पैतृक खातेदारी की भूमि ग्राम मोतीनगर में खसरा नम्बर 113 रकबा 358 बीघा आयी हुई थी। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 ने अपनी उक्त पैतृक खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार सिणधरी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार सिणधरी ने बाद जॉच अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2014द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में

जिला कलक्टर
बाड़मेर

ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

2. हमने अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनीं। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 की पैतृक भूमि ग्राम मोतीनगर में खसरा नम्बर 113 रकबा 358 बीघा आयी हुई है। इन खसरान की भूमि कब्जे काश्त अनुसार बंटवाडा करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 ने पटवारी एंव तहसीलदार से मिलकर अपीलांट की सहमति लिये बिना ही उक्त खेतो का विभाजन अपने मनमाफिक उपजाऊ को अपने पक्ष में करवा कर नामान्तरकरण पारित करवा दिया, जो गलत है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07 के मध्य पूर्व में हुए बाहमी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया। जिससे नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त मे भारी भिन्नता है जिसके कारण अपीलांट की ढाणी,बाड़े आदि रेस्पोडेंट के कब्जे में चले गये है। वादग्रस्त भूमि में जहॉ रास्ता रखा गया है वो रास्ता अपीलांट्स की रहवासी पक्की ढाणी के मध्य में से होकर गुजर रहा है। उन्होने तर्क दिया कि विभाजन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार ने मौका पर कब्जा काश्त की जॉच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है,जो विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। मियाद के सम्बन्ध में उनका यह तर्क हैकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.014 की पालना में नामान्तरकरण पारित होने एंव लठ्टा ट्रेस में अलग अलग तरमीम होने से इसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई। रेस्पोडेंट ने अपीलांट के कब्जे काश्त वाली भूमि को खाली करने का कहा, तब अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल मांगी जो दिनांक 12.02.2016 को प्राप्त हुई। जिससे जानकारी तिथि से अपील अंदर मियाद है। अन्त में अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने एंव मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन आदेश स्वीकृत करने का निवेदन किया।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 03 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि आपसी सहमति से बंटवाड़ा पेश किया जिस पर अपीलांट्स के अंगुष्ठ निशान है। समस्त खातेदारान ने तहसीलदार सिणधरी के समक्ष उपस्थित होकर अपने अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलांट्स ने इस पर सहमति दी है। पटवारी हल्का की मौका जॉच एंव मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार सिणधरी ने विभाजन आदेश स्वीकृत किया है जो सही एंव उचित है। मियाद के सम्बन्ध में उनका तर्क है कि अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान था अपीलांट ने अपील दो वर्ष बाद पेश की है, जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। इसलिये अपीलांट् की अपील खारिज की जाए।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 23.06.2014 के विरूद्ध पेश की है। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01से 04 की पैतृक खातेदारी की भूमि ग्राम मोतीनगर में खसरा नम्बर 113 रकबा 358 बीघा आयी हुई है। अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट्स ने अपनी अपील में यह कही नहीं बताया कि उसे वादग्रस्त भूमि के कितने क्षेत्रफल का हिस्सा बंटवाड़ा में कम दिया गया। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 ने अपनी इस संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पत्र पर अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट के अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर है।पहिचानकर्ता पटवारी हल्का सिणधरी ने पहचान दी है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2014 पक्षकारों की आपसी सहमति पर आधारित है। आपसी सहमति से किये गये विभाजन के बाद अपीलांट सहमति से इंकार नहीं कर सकते। अतः सहमति के आधार पर तहसीलदार सिणधरी ने चौसाला जमबांदी, नक्शा मे दर्शाये अनुसार एंव मौके अनुसार सह खातेदार काबिज होने के अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2014 द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसमें कोई वैधानिक त्रुटि एंव अनियमितता प्रतीत नहीं हुई है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट्स की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2014 यथावत रखा जाता है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर